हरियाणा विधान सभा

हरियाणा विधान सभा (दल-परिवर्तन के आधार पर सदस्यों की निरर्हता) नियम, 1986

(10 मार्च, 1987 को स्वीकृत)

हरियाणा विधान सभा सचिवालय;
चण्डीगढ़
मई, 1987

हरियाणा विधान सभा

हरियाणा विधान सभा (दल-परिवर्तन के आधार पर सदस्यों की निरर्हता) नियम, 1986

[हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण),
दिनाक 10 मार्च, 1987 से उद्धरण]

हरियाणा विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

10 मार्च, 1987

सं० एच०वी०एस०-एल०ए०-6/85/26--भारत के सविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा विधान सभा के अध्यक्ष निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम।

1 ये नियम हरियाणा विधान सभा (दल-परिवर्तन के आधार पर सदस्यो की निरर्हता) नियम, 1986, कहे जा सकते हैं।

परिभाषाएं।

2. इन नियमों मे, जब तक सदर्भ मे अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) 'समिति' से अभिप्राय है, हरियाणा विधान सभा की विशेषाधिकार समिति,

(ख) 'प्ररूप' से अभिप्राय है, इन नियमो के साथ सलग्न प्ररूप,

(ग) इन नियमो के सबध मे 'प्रारभ की तिथि' से अभिप्राय है, वह तिथि, जिसको ये नियम दसवी अनुसूची के पैरा 8 के उप पैरा (2) के अधीन प्रभावी होगे:

(घ) 'सदन' से अभिप्राय है, हरियाणा विधान सभा;

(ड) किसी विधान दल के संबंध में 'नेता' से अभिप्राय है, उस दल का ऐसा सदस्य जिसे उस दल ने अपना नेता चुना है औरइसमे उस दल का कोई

ऐसा अन्य सदस्य भी शामिल है जो उसकी अनुपस्थिति मे इन नियमों के प्रयोजनार्थ उस दल के नेता के रूप मे कार्य करने, उसके कृत्यो का निर्वहन करने के लिए उस दल द्वारा प्राधिकृत किया गया है;

(च) 'सदस्य' से अभिप्राय है, हरियाणा विधान सभा का सदस्य;

(छ) 'दसवी अनुसूची' से अभिप्राय है, भारत के संविधान की दसवी अनुसूची,

(ज) 'सचिव' से अभिप्राय है, सभा का सचिव और उसमे वह व्यक्ति भी शामिल है, जो सचिव के कर्त्तव्यो का तत्समय निर्वहन कर रहा है।

विधान दल के नेता द्वारा जानकारी का दिया जाना। पैरा 8(1)(ख) तथा (ग)।

3. (1) प्रत्येक विधान-दल का नेता (ऐसे विधान-दल से भिन्न जिसमे केवल एक सदस्य हो) सदन की पहली बैठक से तीस दिन के भीतर या जहा ऐसे विधान दल का गठन सदन की पहली बैठक के बाद किया जाता है, वहा उसके गठन से तीस दिन के भीतर अथवा प्रत्येक दशा मे ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जिसकी अध्यक्ष पर्याप्त हेतुक के आधार पर अनुज्ञा दे, अध्यक्ष को निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा, अर्थात् :--

(क) एक विवरण (लिखित रूप मे) जिसमे ऐसे विधान दल के सदस्यो के नाम और उसके साथ ऐसे सदस्यो से सबधित अन्य विवरण होगे जैसे कि प्ररूप 1 में है और ऐसे दल के उन सदस्यो के नाम और पदनाम होगे, जिन्हे उस दल ने इन नियमो के प्रयोजनो के लिए अध्यक्ष से पत्र-व्यवहार करने के लिए प्राधिकृत किया है;

(ख) संबंधित राजनीतिक दल के नियमो और विनियमों की एक प्रति (चाहे उन्हे इस नाम से या सविधान या किसी अन्य नाम से जाना जाता हो); और

(ग) जहा ऐसे विधान-दल के कोई पृथक नियम और विनियम है (चाहे उन्हें इस नाम से अथवा संविधान या किसी अन्य नाम से जाना जाता हो), वहा ऐसे नियमों और विनियमो की एक प्रति।

(2) जहा किसी विधान-दल मे केवल एक सदस्य है वहां ऐसा सदस्य सदन की पहली बैठक से तीस दिन के भीतर या जहां वह सदन की पहली बैठक के बाद सदन का सदस्य बना है वहां सदन में अपना स्थान ग्रहण करने से तीस दिन के भीतर अथवा प्रत्येक स्थिति मे ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जिसको अध्यक्ष पर्याप्त हेतुक के आधार पर अनुज्ञा दे, अध्यक्ष को उप-नियम (1) के खण्ड (ख) मे उल्लिखित नियमों और विनियमो की एक प्रति भेजेगा।

(3) ऐसे किसी विधान-दल की सख्या मे, जिसमें केवल एक सदस्य है, वृद्धि होने पर, उपनियम (i) के उपबन्ध ऐसे विधान दल के संबध में वैसे ही लागू होगे, मानो वह विधान-दल उस प्रथम तिथि को बनाया गया है, जिसको उसकी संख्या मे वृद्धि हुई है।

(4) जब कभी किसी विधान-दल के नेता द्वारा उपनियम (1) के अधीन या किसी सदस्य द्वारा उपनियम (2) के अधीन दी गई सूचना मे कोई परिवर्तन होता है तो वह उसके पश्चात् तीस दिन के भीतर अथवा ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जिसकी अध्यक्ष पर्याप्त हेतुक के आधार पर अनुज्ञा दे, अध्यक्ष को ऐसे परिवर्तन के बारे मे लिखित जानकारी देगा।

(5) इन नियमों के प्रवर्तन की तिथि को विद्यमान सदन की दशा मे उपनियम (1) और (2) मे सदन की पहली बैठक को तिथि के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह इन नियमो के प्रारम्भ की तिथि के प्रति निर्देश है।

(6) जहा किसी राजनीतिक दल का कोई सदस्य, ऐसे राजनीतिक दल द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी निदेश के विरुद्ध ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना सदन मे मतदान करता है या मतदान करने से विरत रहता है, तो सबंधित विधान-दल का नेता या जहा ऐसा सदस्य ऐसे विधान-दल का, यथास्थिति, नेता या एक मात्र सदस्य है तो ऐसा सदस्य ऐसा मतदान करने या मतदान से विरत रहने की तिथि से पन्द्रह दिन की समाप्ति के पश्चात्, यथाशीघ्र और किसी भी स्थिति मे ऐसे मतदान करने या

मतदान करने से विरत रहने के तीस दिन के भीतर, प्ररूप II के अनुसार, अध्यक्ष को यह संसूचित करेगा कि ऐसा मतदान करने या मतदान से विरत रहने के लिए ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी ने माफ किया है या नहीं।

स्पष्टीकरण .--किसी सदस्य का मतदान से विरत रहना तभी माना जायेगा जब वह मतदान करने के लिए अधिकृत किये जाने पर स्वेच्छा से मतदान से विरत रहेगा।

सदस्यों द्वारा जानकारी आदि का दिया जाना। पैरा 8 (क)

4. (1) ऐसा प्रत्येक सदस्य जिसने इन नियमो के प्रारम्भ होने की तिथि से पूर्व सदन मे अपना स्थान ग्रहण कर लिया है, ऐसी तिथि से तीस दिन के भीतर अथवा ऐसी आगे की अवधि के भीतर, जिसकी अनुमति अध्यक्ष पर्याप्त हेतुक के आधार पर अनुज्ञा दे, प्ररूप III मे विशिष्टियो का एक विवरण और घोषणा सचिव को भेजेगा।

(2) प्रत्येक सदस्य, जो इन नियमों के प्रारम्भ के पश्चात् सदन मे अपना स्थान ग्रहण करता है, सविधान के अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने और सदन मे अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व सचिव के पास, अपना निर्वाचन प्रमाण-पत्र जमा कराएगा और प्ररूप III मे विशिष्टियों का एक विवरण और घोषणा सचिव को देगा।

स्पष्टीकरण :--इस उपनियम के प्रयोजन के लिए "निर्वाचन प्रमाण-पत्र" से अभिप्राय है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) तथा उसके अधीन बनाए गए नियमो के अधीन जारी किया गया निर्वाचन प्रमाण-पत्र ।

(3) इस नियम के अधीन सदस्य जो जानकारी देगे उसका संक्षेप सदन के समस्त सदस्यो मे परिचालित किया जाएगा और यदि अध्यक्ष के समाधानप्रद रूप मे उसमे कोई विसंगति बताई जाती है तो आवश्यक शुद्धि पत्र सदन के समस्त सदस्यो मे परिचालित किया जायेगा।

सदस्यों के बारे में जानकारी का रजिस्टर। पैरा 8 (क)

5. (1) सचिव प्ररूप IV के अनुसार एक रजिस्टर रखेगा जो सदस्यो के संबंध मे नियम 3 और 4 के अधीन जानकारी पर आधारित होगा।

(2) प्रत्येक सदस्य के संबंध मे जानकारी, रजिस्टर मे पृथक पृष्ठ पर अभिलिखित की जायेगी।

निर्देश का अर्जी द्वारा किया जाना। पैरा 8(1) (घ)

6. (1) कोई सदस्य दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है, या नही। इस प्रश्न का निर्देश उस सदस्य के संबध मे इस नियम के उपबन्धो के अनुसार दी गई अर्जी द्वारा ही किया जाएगा अन्यथा नहीं।

(2) किसी सदस्य के सबंध में कोई अर्जी किसी अन्य सदस्य द्वारा अध्यक्ष को लिखित रूप मे दी जा सकेगी :

परन्तु अध्यक्ष के संबंध में कोई अर्जी सचिव को संबोधित की जायेगी।

(3) सचिव,--

(क) उपनियम (2) के परन्तुक के अधीन दी गई अर्जी की प्राप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र, उसके बारे मे सदन को एक रिपोर्ट देगा; और

(ख) दसवीं अनुसूची के पैरा 6 के उप-पैरा (1) के परन्तुक के अनुसरण मे सदन द्वारा किसी सदस्य के निर्वाचित किए जाने के पश्चात् अर्जी को यथार्शीघ्र उस सदस्य के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(4) किसी सदस्य के संबंध में कोई अर्जी देने से पूर्व, अर्जीदार अपना यह समाधान करेगा कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार है कि यह प्रश्न उठता है कि क्या वह सदस्य दसवी अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं।

(5) प्रत्येक अर्जी,--

(क) अर्जी मे उन तात्विक तथ्यो का संक्षिप्त विवरण होगा, जिन पर अर्जीदार निर्भर करता है ; और

(ख) अर्जी के साथ, ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य की, यदि कोई हो, प्रतियां संलग्न होंगी, जिस पर अर्जीदार निर्भर करता है, और जहां

अर्जीदार किसी व्यक्ति द्वारा उसे दी गई किसी जानकारी पर निर्भर करता है, वहा उन व्यक्तियो के नाम और पते सहित विवरण और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दी गई ऐसी जानकारी का सारांश सलग्न होगा।

(6) प्रत्येक अर्जी पर अर्जीदार के हस्ताक्षर होगे और उसे, अभिवचनो के सत्यापन के लिए सिविल प्रक्रिया सहिता, 1908 (1908 का 5) मे अधिकथित रीति से सत्यापित किया जाएगा।

(7) अर्जी के प्रत्येक उपबंध पर भी अर्जीदार के हस्ताक्षर होगे और उसे अर्जी के समान रीति से ही सत्यापित किया जाएगा।

क्रिया पैरा 8 (1) (घ)

7. (1) नियम 6 के अधीन अर्जी प्राप्त होने पर, अध्यक्ष इस बात पर विचार करेगा कि क्या अर्जी उक्त नियम की अपेक्षाओ का अनुपालन करती है।

(2) यदि अर्जी नियम 6 की अपेक्षाओ का अनुपालन नही करती है तो अध्यक्ष अर्जी को रद्द करेगा और अर्जीदार को तदनुसार संसूचित करेगा।

(3) यदि अर्जी नियम 6 की अपेक्षाओ का अनुपालन करती है, तो अध्यक्ष अर्जी और उसके उपबंधो की प्रतियां,--

(क) उस सदस्य को भिजवाएगा, जिसके सबध मे अर्जी दी गई है , और

(ख) जहा ऐसा सदस्य किसी विधान-दल का है, और ऐसी अर्जी उस दल के नेता ने नही दी है, वहां ऐसे नेता को भी भिजवाएगा और ऐसा सदस्य या नेता, ऐसी प्रतियो की प्राप्ति से सात दिन के भीतर, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, जिसकी अध्यक्ष पर्याप्त हेतुक के आधार पर अनुज्ञा दे, उस पर अपनी लिखित टिप्पणिया अध्यक्ष को भेजेगा।

(4) अर्जी के संबध मे, अनुज्ञात अवधि (चाहे मूलत: या उक्त उपनियम के अधीन विस्तारित) के भीतर, उपनियम (3) के अधीन प्राप्त टिप्पणियो पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात् अध्यक्ष या तो प्रश्न का अवधारण करने के लिए अग्रसर होगा या, यदि उसका उस मामले की प्रकृति और परिस्थितियों को ध्यान मे रखते हुए यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह अर्जी को प्रारंभिक जांच के लिए तथा उसे उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समिति को निर्दिष्ट करेगा।

(5) अध्यक्ष, उपनियम (4) के अधीन समिति को अर्जी निर्दिष्ट करने के पश्चात् यथाशीघ्र, अर्जीदार को तदनुसार ससूचित करेगा और ऐसे निर्देश के सबध

में सदन में घोषणा करेगा या, यदि सदन का सत्र उस समय नहीं चल रहा है तो उस निर्देश की सूचना तदनुसार सदन के समस्त सदस्यो मे परिचालित कराएगा।

(6) जहां अध्यक्ष समिति को उपनियम (4) के अधीन निर्देश करता है, वहां वह समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात्, यथाशीघ्र,उस प्रश्न का अवधारण करेगा।

(7) वह प्रक्रिया जिसका अनुसरण अध्यक्ष उपनियम (4) के अधीन किसी प्रश्न के अवधारण के लिए करेगा और वह प्रक्रिया जिसका अनुसरण समिति प्रारम्भिक जांच के प्रयोजन के लिए करेगी, यथासभव, वही प्रक्रिया होगी जिसका समिति किसी सदस्य द्वारा सदन के विशेषाधिकार का भंग किए जाने के किसी प्रश्न का अवधारण करने के लिए अनुसरण करती है और अध्यक्ष या समिति इस निष्कर्ष पर, कि सदस्य दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है, तब तक नही पहुंचेगी जब तक उस सदस्य को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का और व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान न कर दिया जाए।

(8) उपनियम (1) से (7) तक के उपबध अध्यक्ष के संबध मे दी गई अर्जी के बारे मे उसी प्रकार लागू होगे जैसे कि वे किसी अन्य सदस्य के संबध मे दी

गई अर्जी के बारे में लागू होते हैं, तथा इस प्रयोजनार्थ, इन उपनियमो मे अध्यक्ष के प्रति निर्देश का अर्थ दसवीं अनुसूची के पैरा 6 के उप-पैरा (1) के परन्तुक के अन्तर्गत सदन द्वारा निर्वाचित सदस्य के प्रति निर्देश सहित लगाया जाएगा।

अर्जियों पर विनिश्चय । पैरा 8 (1) (घ)

8. (1) अर्जी पर विचार पूरा होने के पश्चात्, यथास्थिति, अध्यक्ष या दसवीं अनुसूची के पैरा 6 के उप-पैरा (1) के परतुक के अधीन निर्वाचित सदस्य, लिखित आदेश द्वारा :--

(क) अर्जी को खारिज करेगा ; या

(ख) यह घोषणा करेगा कि वह सदस्य जिस के संबध मे अर्जी दी गई है, दसवी अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है, और उस आदेश की प्रतियां अर्जीदार को, उस सदस्य को, जिसके सबंध मे अर्जी दी गई है, और संबंधित विधान दल के नेता को, यदि कोई हो, परिदत्त या अग्रेषित करवाएगा।

(2) ऐसे प्रत्येक विनिश्चय की, जिसमें किसी सदस्य को दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त घोषित किया गया है, सदन को, यदि वह सत्र मे है, तुरत रिपोर्ट की जाएगी, और यदि सदन सत्र मे नहीं है तो सदन के पुन: समवेत होने के तुरत पश्चात् रिपोर्ट की जाएगी।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक विनिश्चय सभा के समस्त सदस्यो मे परिचालित किया जाएगा और राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा तथा सचिव उस विनिश्चय की प्रतियां भारत के निर्वाचन आयोग, हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

इन नियमों के विस्तृत कार्यकरण के सम्बन्ध में निदेश। पैरा 8

9. अध्यक्ष, समय-समय पर ऐसे निदेश जारी कर सकता है, जो वह इन नियमों के विस्तृत कार्यकरण के बारे मे आवश्यक समझे।

प्ररुप-I

[देखिए नियम 3 (1) (क)]

विधान दल का नाम :

तत्स्थानी राजनीतिक दल का नाम:

क्रम सख्याक	सदस्य का नाम (स्पष्ट अक्षरो मे)	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	किस निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित है
1	2	3	4	5

तिथि :

विधान दल के नेता के हस्ताक्षर

प्ररूप-II

[देखिए नियम 3 (6)]

सेवा मे

अध्यक्ष,
हरियाणा विधान सभा।

महोदय,

सदन की ----------(तिथि) को हुई बैठक मे---------- ---------- ----------विषय पर हुए मतदान मे।

†श्री----------एम०एल०ए० ने जिन की (विभाजन संख्या ----------) है और जो ----------(राजनीतिक दल का नाम) के सदस्य, तथा जो ---------- ----------(विधान-दल का नाम) के हैं,

†मैने/मे अर्थात्---------- ----------(सदस्य का नाम), एम०एल०ए०, (विभाजन सख्या---------- ----------), ---------- ----------(राजनीतिक दल का नाम) का सदस्य और ----------(विधान-दल का नाम) का नेता/एकमात्र सदस्य,

----------*(†व्यक्ति /प्राधिकारी /दल) द्वारा दिए गए निदेशों के विरुद्ध उक्त *व्यक्ति/प्राधिकारी/दल की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना मतदान किया है/मतदान करने से विरत रहा है/ रहा हू।

2. ----------(तिथि) को पूर्वोक्त मामले पर----------

*(†व्यक्ति/प्राधिकारी /दल) द्वारा विचार किया गया और उक्त † मतदान करने /†मतदान करने से विरत रहने को, उसके द्वारा†माफ किया गया/ †माफ नही किया गया।

तिथि .

भवदीय,
(हस्ताक्षर)

† अनुपयुक्त शब्दों/अश को काट दे।

* (यहा पर, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति/प्राधिकारी/दल का नाम लिखे जिसने निदेश जारी किया है।

प्ररूप-III

[देखिए नियम 4 (1) तथा (2)]

1. सदस्य का नाम (स्पष्ट अक्षरो मे) :

2 पिता/पति का नाम .

3. स्थायी पता :

4. वर्तमान पता :

5. निर्वाचन की तिथि :

6. जिस दल से सबद्ध है----------

   (i) निर्वाचन की तिथि को :

   (ii) *28 फरवरी, 1985 को .

   (iii) इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने की तिथि।

घोषणा

मै----------यह घोषणा करता हू कि उपरोक्त जानकारी सत्य और सही है।

ऊपर दी गई जानकारी मे कोई परिवर्तन होने पर, मैं अध्यक्ष महोदय को तत्काल सूचित करने का वचन देता हं।

तिथि सदस्य के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान

*1 मार्च, 1985, अर्थात् संविधान (52वा सशोधन) अधिनियम, 1985, के प्रारभ होने की तिथि से पूर्व निर्वाचित सदस्यो द्वारा ही भरा जाएगा।

प्ररूप-IV

[देखिए नियम 5 (1)]

सदस्य का नाम (स्पष्ट अक्षरो मे)	पिता/पति का नाम	स्थाई पता	वर्तमान पता	निर्वाचन की तिथि	राजनीतिक दल का नाम जिससे वह सबद्ध है।	विधान दल का नाम जिससे वह संबद्ध है।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8

अध्यक्ष के आदेश द्वारा,
जी०एल० बत्रा,
सचिव,
हरियाणा विधान सभा।

46536–H VS –H GP, Chd